भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 241
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 06 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का विनियमन

241 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय फोरेंसिक विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 के अधिनियमन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसे संसद की किसी भी सभा में चर्चा के लिए लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विनियमन की वर्तमान स्थिति क्या है और जिला स्तर पर मौजूद निजी एवं सरकारी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए विनियमन प्राधिकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय स्तर पर ऐसे विनियमन निकायों के न होने की स्थिति में , क्या सरकार की स्थानीय स्तर पर नए विनियमन निकाय स्थापित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): इस मंत्रालय में ऐसा कोई विधेयक विचाराधीन नहीं है।

(ग़) और (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपराध और अपराधियों की जांच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा तथा संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की होती है।

राज्य सभा अता.प्र.स. 241 दिनांक 27.11.2024

केन्द्र सरकार द्वारा देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे के स्तरोन्नयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और कोलकाता में केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

(ii) फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विशेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान आदि समेत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन।

(iii) गृह मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 04.09.2015 के माध्यम से देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस क्षेत्र में निजी प्रेकटीशनर्स के रूप में काम करने वाले फोरेंसिक दस्तावेज़ परीक्षकों और फिंगर प्रिंट परीक्षकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश अधिसूचित करने की सलाह दी गई है।

(iv) चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना।

(v) डिजिटल धोखाधड़ी / साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए, केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना।

(vi) ई-फोरेंसिक आईटी प्लेटफॉर्म को शुरु करना, जो देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केन्द्रीय एवं राज्य) को जोड़ता है।

(vii) गृह मंत्रालय ने सांबा (जम्मू एवं कश्मीर) में 99.76 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।

(viii) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एन.एफ.एस.यू) की स्थापना वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत, देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित न्यायालयिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए, की गई है। एन.एफ.एस.यू, का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इसके अलावा, एन.एफ.एस.यू के परिसर दिल्ली, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), और गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं। एन.एफ.एस.यू ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण अकादेमी भी स्थापित की हैं।

(ix) कैबिनेट द्वारा दिनांक 19.06.2024 को देश में फोरेंसिक परीक्षण अवसंरचना में वृद्धि करने और देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों को कम करने के साथ-साथ देश में फोरेंसिक पेशेवरों की कमी को दूर करने हेतु, "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु योजना" को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस योजना में देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 09 ऑफ-कैंपस, 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और एन.एफ.एस.यू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना शामिल है।

(x) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर-फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं का सुदृढीकरण करने के लिए सहायता की जा रही है। 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 245.29 करोड़ रुपए की कुल लागत से परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(xi) फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 32,314 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (अब राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का दिल्ली परिसर) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

(xii) "फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण" के लिए योजना का 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित, तथा देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ "राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों

में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन" के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान और इस स्कीम के तहत"देश के सभी जिलों और राज्य एफ.एस.एल. के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन" के घटक के लिए 496.66 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, एन.एफ.एस.यू. के ऑफ-कैंपस और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और एन.एफ.एस.यू. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण/कौशल अकादमियों के लिए भी एन.एफ.एस.यू. को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

(xiii) "महिला सुरक्षा" की व्यापक योजना के तहत, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, हैदराबाद के तर्ज पर पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित छः सी.एफ.एस.एल में एक समर्पित साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 126.84 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ करने हेतु अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, सभी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से प्राप्त फोरेंसिक डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करने हेतु, उक्त योजना के तहत 200.16 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना अनुमोदित की गई है। इसके साथ ही, उक्त योजना के तहत भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में स्थित सीएफएसएल में रिपोर्टिंग अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों की स्थापना को 27.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ करने का भी अनुमोदन दिया गया है।

(xiv) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य पद्धति मैनुअल।

- जीव विज्ञान, डीएनए, रसायन विज्ञान, विस्फोटक, नारकोटिक्स, विष विज्ञान, आईसीजेएस फोरेंसिक पोर्टल, वक्ता पहचान, कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए गुणवत्ता मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल।

- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के प्रयोजनार्थ यौन हमले के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और उन्हें लाने-ले जाने हेतु दिशानिर्देश।

- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

*****